..र्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर ।
{जयपुर विकास प्राधिकरण -भवन}

क्रमांक: भू0 अ0/न0 वि0/91/ दिनांक:-12-6-91
डि0000

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कृत्यों के निर्वहन व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम अतर पुरा तहसील सांगानेर में भूमि अवाप्ति बाबत{पृथ्वीराज नगर योजना}

मुकदमा नम्बर:-

{1} 257/88
{2} 260/88
{3} 261/88
{4} 264/88

:- अ वा र्ड :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि की अवाप्ति हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 {1984} का केन्द्रीय भूमि अधिनियम संख्या-1 की धारा 4{1} के तहत क्रमांक प-6{15}/नविo आ0/11/87 दिनांक 6-1-1988 तथा गजट प्रकाशन राजस्थान राजपत्र 7जुलाई 1988 को करवाया गया ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 5ए की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के उपरांत राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा-6 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 6 का गजट प्रकाशन क्रमांक प-6{15} नवि0आ0/3/87 दिनांक 28/7/89 का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र दिनांक 31 जुलाई, 1989 को किया गया ।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा -6 का गजट प्रकाशन करवाया गया है उसमें ग्राम अतरपुरा तहसील सांगानेर में अवाप्तिधीन भूमि की स्थिति निम्न प्रकार है :-

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

क्रमश: -2/पर-

220

क्र०सं०	मुकदमा नम्बर	खातेदारान/हितदारान का रकम	खसरा नं०	अवाप्तिधीन भूमि का रकबा बी०-बि०
1.	2.	3.	4.	5.
1.	257/88	हरबक्स, रामपाल, बंशी पुत्र	66	0-18
		मंगला 3/4 बराबर नाथू	67	5-18
		लल्लु, शंकर, गजानन्द, कैलाश	132मि०	0-10
		पिता भूरा हि० 1/4 कौ०	112मि०	3-12
		ब्राहमण सा. देह		
2.	260/88	गणेश पुत्र गुंगा सहाय	113	1-17
		कौम ब्राहमण सा. देह	114	0-01
			115	4-00
			116मि.	0-15
			117मि.	2-00
			118मि.	0-15
3.	261/88	घासीराम, रामलाल पि. छोटूराम		
	264/88	व गु लाब देवी बेवा छोटूराम	65	1-04
		1/4 व श्री नारायण, काना	69	7-01
		रामप्रताप पि० चन्दा हि. 3/4	99	0-04
		जाति हरियाणा ब्राहमण	100	4-14
		सा. देह	101	0-01
			102	0-03
			103	0-04
			104	0-06
			105	0-02
			106	2-17
			107	0-03
			108	2-06
			109	2-05
			110	0-02
		सिवाय चक	111	1-04

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

क्रमशः ------3/------

§1§ मुकदमा नम्बर 257/88 खसरा नं0. 66 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नं0. 67 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं0. 132मिन 10 बिस्वा, खसरा नं0. 112मिन रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, ...

धारा 6 के मध्य नोटिफिकेशन में खसरा नं0. 66, 67, 132मिन, 112मिन श्री हरबक्स, रामपाल, बंशी, पुत्र मंगला हि.3/4 बराबर नाथू लल्लू शंकर मयानन्द, कैलाश पि.सूरा हि 1/4 जाति ब्राह्मण सा.देह के नाम दर्ज है।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस खातेदारान/हितदारान का दिनांक 1.9.90 को जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की हल्फीया रिपोर्ट के अनुसार वयस्क सदस्य को खातेदार के भाई लल्लू शर्मा तथा खातेदार के चाचा के लड़के मोहन लाल शर्मा को सभी खातेदार गन की ओर से नोटिस दे कर तामील कराये गये। इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 29.1.91 को खातेदारान की ओर से शंकर लाल शर्मा जो खातेदार सूरा का पुत्र होना बताया तथा खातेदार हरबक्स का पोता हनुमान भी उपस्थित हुआ परन्तु कोई क्लेम व आपत्ति प्रस्तुत नहीं की खातेदारान/हितदारान को धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 25.2.91 को पुनः जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की हल्फीया रिपोर्ट के अनुसार मौके पर दो गवाहनों के समक्ष चस्पा कराये गये। दिनांक 25.2.91 को नोटिस रजि.ए.डी. द्वारा भेजे गये जिसकी तामील रसीद मिसल शामिल है। तत्पश्चात 20.3.91 को नोटिसों का दैनिक नवज्योति व नव भारत टाईम्स समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया। समाचार पत्रों में नोटिसों का प्रकाशन होने के पश्चात दिनांक 25.3.91 को खातेदारान/हितदारान श्री कैलाश सीताराम, हरीनारायण, बाबूराम, लक्ष्मीनारायण लल्लू, महादेव, नाथूराम, शंकर व बंशी की ओर से अभिभाषक श्री आर. के. शर्मा ने प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें राम पाल का देहान्त होना बताया गया है तथा भूमि का बटवारा राम पाल के भाईयों में दिनांक 30.3.88 को होना बताया है। तथा अवार्ड के समय हरबक्स खातेदार के पाँचों पुत्र बाबूराम हरिनारायण, सीताराम, महादेव व लक्ष्मीनारायण तथा सूरा राम खातेदार के पाचों पुत्र नाथू लाल, लल्लू लाल शंकर, मयानन्द कैलाश व बंशी के नाम अवार्ड में अंकित करने हेतु लिखा गया है। प्रार्थना पत्र के साथ नकल नामान्तरण रजिस्टर संख्या 3 ग्राम आसपुरा की फोटो कॉपी व न्यायालय उपजिलाधीश जयपुर से प्राप्त नकल की फोटो प्रति पेश की है और बाद में खातेदारान की ओर से श्री बाबू राम सीताराम व लक्ष्मीनारायण के हस्ताक्षर शुदा आवेदन पत्र अभिभाषक श्री आर. के शर्मा ने दिनांक 23.4.91 को पेश किया साथ में खातेदार हरबक्स का मृत्यु प्रमाण पत्र व भूप्रबन्ध विभाग से प्राप्त पर्चा लगान की प्रमाणित फोटो कॉपी पेश की जो मिसल शामिल है। हरबक्स के पाँचों पुत्रान बाबूराम, हरिनारायण सीताराम, लक्ष्मीनारायण, महादेव का हितदारी व्यक्ति तो मानते हैं परन्तु मृतक हरबक्स के वारिसान को अवार्ड में से राशि राजस्व सम्बन्धी विधिक दस्तावेजात व उत्तराधिकारी दस्तावेजात पेश करने पर ही नियमानुसार मुआवजा राशि देय होगी।

..................4

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

-222-

दिनांक 29.4.91 को अभिभाषक श्री आर.के.शर्मा ने खातेदारान/हितदारान महादेव, हरीनारायण, गजानन्द, श्री, शंकर लाल, लक्ष्मीनारायण, मदनलाल, कैलाशचंद, बाबूराम, नाथूलाल, लल्लूलाल, की ओर से क्लेम प्रस्तुत किया जो मिशल सामिल है खातेदारान/हितदारान ने अपने क्लेम में यह लिखा है कि इस समय भूमि की बाजार भाव 200/- रूपये प्रति वर्ग गज है इसलिए प्रार्थी गणो को मुआवजा राशि बाजार भाव के आधार पर दिलाया जाय, जिसका विवरण निम्न प्रकार है

खसरा नं0. 66 की जमीन 18 बिस्वा, के 2700 गज हुए । 200रू.प्र.व.ग.के हिसाब से	5,40,000/-
भूमि 5 बीघा 18 बिस्वा, जिसकी भूमि 17,700 गज है, 200 रू.प्र.व.ग. के हिसाब से	35,40,000/-
खसरा नं0. 132 में कुल भूमि है 00-10 बिस्वा के 1500 वर्ग गज के 200 रू.प्र.व.ग.के हिसाब से	3,00,000/-
खसरा नं0. 112 मिन में 3बीघा 18 बिस्वा भूमि है नोटिस में 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि दर्शायी गयी है जिसमें 11,700 वर्ग गज जमीन के 200 रूपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से	23,40,000/- ~~xxxxxxx~~
	67,20,000/-

इस प्रकार क्लेम में कुल भूमि के पेटे 67,20,000/- रूपयों की मुआवजा राशि माँग की है । तथा साथ ही एक कुआ मय बिजली कनेक्शन जिसकी कीमत 1,50,000/-, व पाईपा लाइन की राशि 20,000/- रूपये व 15 पेडो की राशि 5,000/- रूपयों की माँग की है और परिवार के भरण पोषण के लिए 7,00000/- रूपयों की भी माँग की है ।

जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के0.पी0. मिश्रा का कथन है खातेदार ने बहुत अधिक राशि की माग की है इस क्षेत्र में भूमि की 200रू0. प्रति वर्ग गज की दर पर रजिस्ट्री होने का कोई प्रमाण पेश नहीं किया है और ना ही कोई बाजार दर की पुष्टि सम्बन्धित ठोस दस्तावेजात पेश किये है तथा कुआ बिजली कनेक्सन पाईप लाइन, पेडो आदि का रजिस्टर्ड वेल्यूवर से प्रमाणित हुई कोई तकमीना भी प्रस्तुत नहीं किया है ।

हम जवींप्रा के अभिभाषक के इस कथन से सहमत है अतः दावेदारान हितदारान द्वारा क्लेम बढाचढा कर प्रस्तुत किया है जो निराधार है अतःक्लेम के अनुसार मुआवजा राशि दिया जाना न्यायसंगत नहीं

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

क्रम सं. 2 मुकदमा नं. 260/88 खसरा नं. 113 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 114 रकबा 1 बिस्वा खसरा नं. 115 रकबा 4 बिघा खसरा नं. 116 मिन रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं. 117 मिन रकबा 2 बीघा खसरा नं. 118 मिन रकबा 15 बिस्वा.

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं. 113, 114, 115, 116मिन, 117मिन, 118मिन, श्री गणेश पु. गंगासहाय जाति ब्राह्मण सा. देह के नाम दर्ज है। इस प्रकरण में रामप्रताप पु. रामचन्द्र घासी पु. छोटू आपत्तिकर्त्ता है।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 1.9.90 को खातेदारान/हितदारान एवं आपत्तिकर्ता ओं को जारी किये गये तामील कुनिन्दा की हल्फीया रिर्पोट के अनुसार खातेदारान व आपत्तिकर्ता के वयस्क सदस्य को नोटिस तामील कराया या बावजूद इसके कोई उ उपस्थित नही हुआ। इसके पश्चात दिनांक 11.1.91 को पुनः नोटिस जारी किये गये तामील कुनिन्दा की हल्फीया रिर्पोट के अनुसार खातेदारान/के परिवार के वयस्क सदस्य कैलाश शर्मा को नोटिस तामील कराया गया। दिनांक 15.2.91 को आपत्तिकर्ता की ओर से रामू लाल शर्मा जो आपत्तिकर्ता घासी के भाई होना बताया गया उपस्थित हुए तथा कोई क्लेम पेश नही किया तत्तपश्चात 4.3.91 को धारा 9 व 10 के नोटिस तामील कुनिन्दा के जरिये जारी किये गये, तामील कुनिन्दा की हल्फीया रिर्पोट के अनुसार मौके पर दो गवाहो के समक्ष नोटिस चस्पा कराये गये। इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान व आपत्तिकर्ता अनुपस्थित रहें। तत्तपश्चात धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन ~~xxx~~ दैनिक नव ज्योति व नवभारत टाइम्स समाचार पत्रों में दिनांक 5.5.91 को कराया गया। इसके बावजूद भी खातेदारान /हितदारान व आपत्किर्ता अनुपस्थित रहें। अतः इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

दिनांक 2.4.91 ~~xx~~ को आपत्तिकर्ता श्री राम प्रताप व उनके पुत्र भगवान सहाय की ओर से ~~निवेदन/xxxx~~ ~~श्री~~ अभिभाषक श्री राकेश स्वामी उपस्थित हुए। एवं मौखिक रूप से निवेदन किया है कि यह भूमि, गणेश पुत्र गंगा सहाय से रजिस्ट्री द्वारा खरीदी है अतः हितदारान मूलचंद पु. प्रताप प्रभु जगदीश, ग्यारसा पुत्र मांगू को धारा 9 व 10 के नोटिस रजि0. ए.डी. व समाचार पत्रों में प्रकाशन कराये जावे। विद्वान अभिभाषक के द्वारा आपत्तियाँ उठाई गयी ह वह नियमानुसार धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के प्रकाशन एवं धारा 5 ए की कार्यवाही होने समय प्रस्तुत करनी चाहिए थी। इसलिए इस प्रकार की आपत्तियों अब क्लेम की सुनवाइई के समय मान्य नही है। अतः यह आपत्तियाँ अस्वीकार की जाती है।

जहाँ तक अभिभाषक श्री स्वामी ने जो क्लेम दिनांक 2.4.91 को ~~xx~~/भगवान सहाय पुत्र रामप्रताप की ओर से प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में कोई दस्तावेजात या राजस्व सम्बन्धित प्रत्रादि पेश नही किये है जिससे आपत्तिकर्ता का मालिकाना हक जाहिर होता हो।

............6

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

हितदार राम प्रताप व भगवान सहाय ने जो क्लेम प्रस्तुत किया है उसमें निम्न प्रकार से मुआवजा की राशि की माँग की है ।

भूमि के पेटे 400 रूपयें वर्ग मीटर के हिसाब से राशि की माँग की है । रु०

खसरा नं0. 114 में बनी कोठी की कीमत जिसमें डीजल पम्प व कच्चे मकानात बने हुये है रूपयें =	2,50,000/-
कोठी मय डीजल पम्प की कीमत =	2,50,000/-
साल भर की फसल की कीमत =	30,000/-

लेकिन अभिभाषक द्वारा कोई ठोस व विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर प्रार्थीगण की ओर से माँगी गयी राशि दी जासके । अतः उनके द्वारा दी गई दलील खारीज की जाती है । दिनांक 3.4.91 को अभिभाषक श्री कल्याण सहाय केदावत ने मु0 चान्द बेवा रघुनाथ शकर पु0 रघुनाथ मु मीना पुत्री रघुनाथ मूलचंद पुत्र प्रताप प्रभुनारायण पुत्र प्रताप, जगदीश पुत्र प्रताप नाबालिक मु0. लाडा बेवा, प्रताप जोजे लादूराम, मु0 प्रभाती पुत्री प्रताप जोजे कल्याण ग्यारसी लाल पुत्र पाचू मु0. शान्ती पुत्री पाचू जोजे गोपी मु0. मागी पुत्री पाचू जोजे गुल्ला मु0. घापू बेवा पाँचू जोजे गोपी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया व मुआवजा का क्लेम पेश करने हेतु समय चाहा, दिनांक 23.5.91 को रघुनाथ की ओर से अभिभाषक श्री राकेश स्वामी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें बताया गया है कि प्रताप बनाम गणेश में तो अपील दायर की जा रही है और रामप्रताप बनाम रघुनाथ में फौजदारी की दरख्वास्त एस.सी.एम. सांगानेर में प्रस्तुत कर रखी है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 88.5.91 मुकर्रर है। इस आधार पर प्रताप एवं रघुनाथ के वारिसान द्वारा प्रस्तुत उज्र व फैसले पर गौर नही किया जा सकता है जब तक उक्त दोनो प्रकरण का फैसला नही हो जाता/जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के0.पी0. मिश्रा का कथन है कि रोकेश स्वामी द्वारा जो दिनांक 2.4.91 को क्लेम पेश किया है उसमें बहुत अधिक राशि की माँग की है इसके अतिकरीक्त कोई विधिके रजिस्ट्रर्ड वेल्यूवर द्वारा प्रमाणित तकनमीना व राजस्व सम्बन्धित दस्तावेजात पेश नही किये गये जिसके आधार पर अवार्ड की राशि में से भगवान पु0. रामप्रताप को कोई तकमीना राशि दी जा सके फिर भी भगवान सहाय को हितदारी व्यक्ति नियमानुसार माना जाता है लेकिन अवार्ड की राशि में से कोई राशि देय नही होगी अभिभाषक श्री कल्याण सहाय केदावत ने दिनांक 23.4.91 को ए.सी.एम. चाकसू कैम्प सांगानेर से नकल फैसला प्रस्तुत किये जिसमे खातेदार गणेश नारायण पुत्र गंगासहाय के हक में फैसला हुआ है ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाऐं
जयपुर

......

दिनांक 2/5/91 को अभिभावक श्री राकेश स्वामी ने मुकदमा बनाम गणेश आदि का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें इस प्रकरण में वर्णित खसरा नम्बरान के दो वाद राम प्रताप बनाम रघुनाथ तथा प्रताप बनाम गणेश के नीचे से सांगानेर ए0सी0एम के यहाँ चल रहे है । इस प्रकरण में राम प्रताप बनाम रघुनाथ अदम हाजरी में खारीज हो चुका है जिसकी बाद दायरी पेर कार्यवाही ए.सी.एम सांगानेर में है, जिसकी अगली पेशी दिनांक 18.5.91 को नियत है । और दूसरा प्रकरण प्रकरण प्रताप बनाम गणेश नारायण में डिक्री हो गयी है । जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहाँ विचाराधीन है । जिसमे आगामी पेशी 8-5-91 है ।

दिनांक 30-5-91 को अभिभावक श्री कल्याण सहाय केदावत ने खातेदारान/ हितदारान/ काश्तकार मु0 चान्द बेवा रघुनाथ, शंकर पुत्र रघुनाथ मु0 मीना पुत्री रघुनाथ, मूलचन्द पुत्र प्रताप, प्रभुनारायण पुत्र प्रताप, जगदीश पुत्र प्रताप नाबालिग, मु0 लाडा बेवा प्रताप, मु0 भूरी पुत्री प्रताप, जोजे गोपीराम, मु0 तीजा पुत्री प्रताप जोजे लादूराम, मु0 प्रभाती पुत्री प्रताप जोजे कल्याण, ग्यारसी लाल पुत्र पांचू, मु0 शान्ती पुत्री पांचू जोजे गोपी, मु0 मांगी पुत्री पांचू जोजे गुल्ला, मु0 धापू बेवा पांचू ~~श्री~~ की ओर से क्लेम प्रस्तुत किया है तथा साथ में कन्सलटिंग इंजीनियर एण्ड वेल्यूवर से प्रमाणित तकमीना भी प्रस्तुत किया है जो शामिल मिसल है । प्रस्तुत क्लेम में प्र र्थीगण निम्न प्रकार से मुआवजे की राशि की मांग की है :-

1-	प्रार्थीगण ने भूमि के पेटे क्योंकि उक्त भूमि मानसरोवर योजना लगती होने के कारण भूमि की दर दो लाख रूपये प्रति बीघा दर है	18,80,000/-
2-	प्रभुनारायण प्रताप के 1 कमरा चबुतरे पर पर्दी और छप्पर की राशि	12,249/-
3-	मूल चन्द पुत्र प्रताप के दो पुख्ता कमरे में छप्पर व बिजली लगी हुई की राशि	18,246/-
4-	जगदीश पुत्र प्रताप के एक कमरा व एक छप्पर की राशि	10,978/-
5-	ग्यारसी लाल पुत्र पांचू के छप्पर पुख्ता मकान की राशि	32,045/-

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

226

§6§	कुआ में डीजल इंजन की राशि	30,000/-
§7§	खेत के चारों तरफ मिट्टी का डोला की राशि	6,451/-
§8§	खेत की जमीन लेविल कराने की राशि	42,451/-
§9§	ग्यारसी लाल के लगे हुए पेड़ो की राशि	31,325/-
§10§	मूलचन्द प्रभुनारायण व जगदीश पुत्र प्रताप के पेड़ों की कीमत	27,125/-
	ग्यारसी लाल के [illegible] डोली पर लगी पानी के पूलो की कीमत	7,000/-
	व फूलों की कीमत	8,750/-
§11§	भूमि की तरक्की करने की राशि	50,000/-
		24,11,616/-

प्रार्थीगणों ने मृतक रघुनाथ के वारिसान चन्दा, शंकर, मीना, प्रभुनारायण मूलचन्द, जगदीश, पाँचू को 1500 मीटर रिहायशी भूखण्ड आवंटन हेतु निवेदन किया है।

दिनांक 4-6-91 को अभिभाषक श्री कल्याण सहाय केदावत ने प्रार्थीगण की ओर से विक्रय पत्र दिनांक 15-11-90, 25-10-90, 15-6-89, 22-12-90 की फोटो प्रति एवं फोटो प्रति निर्णय दिनांक 16-3-91 को सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक चाकसू कैम्प सांगानेर तथा 16-3-91 डिक्री की फोटो प्रति पेश की है जो शामिल मिसल है।

जविप्रा के अभिभाषक श्री के0 पी0 मिश्रा का कथन है कि प्रस्तुत क्लेम में अभिभाषक द्वारा बहुत अधिक मुआवजा राशि की मांग की है जो दिया जाना सम्भव नहीं है तथा इस क्षेत्र में धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय रजिस्ट्री होने का क कोई प्रमाण एवं बाजारी दर की पुष्टि में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये है।

हम जविप्रा के अभिभाषक के इस कथन से सहमत है अतः खातेदारान/हितदारान एवं आपत्तिकर्त्ता द्वारा क्लेम में जो मुआवजा राशि की मांग की गई है वह बहुत बढ़ा चढ़ाकर मांगी गई है। जो निराधार है अतः क्लेम के अनुसार मुआवजा राशि दिया जाना न्यायसंगत नहीं है।

दावेदारो ने रिहायशी भू खण्ड हेतु 1500 मीटर के रिहायशी भूखण्डों की भूमि आवंटन हेतु लिखा है वह दिया जाना सम्भव नहीं है। क्योंकि इससे पृथ्वीराज नगर योजना में बुरा असर पड़ता है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

क्रम सं. 2 मुकदमा नं. 261/88 व 264/88 खसरा नं0 65 रकबा [illegible] बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं0 69 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 99 रकबा 4 बिस्वा, ख0 नं0 100 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 101 रकबा 1 बिस्वा, ख0नं0 102 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं0 104 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नं0 105 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं0 106 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, ख0नं0 107 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं0 108 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 109 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, ख0 नं0 110 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं0 111 रकबा 1 बीघा <u>4 बिस्वा</u>

—

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन मे खसरा नं0 65, 69, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 श्री घासी राम रामूलाल पिता छोटूराम व गुलाबदेवी बेवा छोटू राम हि. 1/4 व श्री नारायन काना, रामनारायण पि. मन्दा 3/4 जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0 देह ग्राम असरपुरा के नाम खातेदारी में दर्ज है । तथा खसरा नं0 111 सिवाय चक भूमि है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस खातेदारान/हितदारान को दिनांक 1.9.90 को जारी किये गये । तामिल कुनिन्दा की ~~रिपोर्ट एवं~~ हल्फियाँ रिपोर्ट के अनुसार नोटिस खातेदार काना राम के लडके मोहन लाल शर्मा को सभी खातेदारान की ओर से नोटिस तामील कराये गये । खसरा नं0 111 जो सिवाय चक भूमि है के नोटिस तहसीलदार सांगानेर के नाम दिनांक 12.1.90 को जारी किये गये । ~~xx~~ तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार सांगानेर के कार्यालय के रिसिप्ट क्लर्क को देकर तामिल कराये गये । किन्तु खातेदारान/हितदारान की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । और ना ही तहसीलदार सांगानेर की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 15.2.91 व 22.2.91 को रजि0 ए0डी0 के जरिये जारी किये गये जिसकी तामिल की रसीद मिसल शामिल है । दिनांक 15.2.91 को खातेदार रामू लाल शर्मा उपस्थित हुआ परन्तु कोई क्लेम प्रस्तुत नहीं किया और आगामी पेशी दिनांक 26.2.91 को उपस्थित नहीं हुआ । तत्पश्चात दिनांक 5.5.91 को धारा 9 व 10 के नोटिस दैनिक नव ज्योति एवं नवभारत टाइम्स समाचार पत्रों में प्रकाशन कराये गये । ख0नं0 111 के लिये तहसीलदार सांगानेर या उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ । प्रकरण में, ख0नं0 111 की भूमि को धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में [illegible]

जानिफ्रा क अभिभाषक की कथन है कि

.11..

क्रमशः

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास न्यास
जयपुर

दर्ज है । अत: सिवाय चक भूमि स्वत: ही राज्य सरकार में निहित मानी जायेगी । अत: इस भूमि का अवार्ड जारी करने की आवश्यकता नही है । हम इस कथन से सहमत है । अत: सिवाय चक भूमि का अवार्ड जारी नहीं किया जा रहा है । दिनांक 15.2. 91 को हितधारान भगवान सहाय एवं खातेदार रामू लाल शर्मा, राम प्रताप की ओर से अभिभाषक श्री राकेश स्वामी ने क्लेम प्रस्तुत किया । जो निम्न प्रकार है ।-

(x) [illegible]

(1) यह कि घासी राम, रामू लाल का कुल जमीनमें अपनीबहिन सहित 1/4 हिस्सा है और जमीन चूँकि घासी के दादा चन्दा की है इसलिए इनकी बहिनो को भी नोटिस दिया जाना जरूरी हैं । बहिनों के नाम नाथी एवं भवरी उर्फ भूरी है ।

(2) यह कि विवादग्रस्त कुल भूमि 21 बीघा 10 बिस्वा है । इस आधार पर पूरी जमीन में से घासी, रामू, नाथी एवं भुंवरी का 1/4 हिस्सा है । इस आधार पर चारों भाई बहिन हैं उनके हिस्से की करीबन 1500 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से भूमि पाने के हकदार हैं । चूँकि उक्त भूमि के अलावा प्रार्थीगण (अप्रार्थीगण) के पास और कोई सम्पत्ती नहीं हैं ।

(3) यह कि चूँकि भूमि पुश्तैनी है लिहाजा घासी एवं रामू लाल के पुत्रान एवं पुत्रियों को भी धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम, 1957 के तहत अपना हिस्से की भूमि पाने का हक है । घासी के पुत्रान नारायण, बद्री, कैलाश, पूरण एवं रमेश व पुत्री भतोति है । इसी प्रकार रामू लाल के पुत्रान हनुमान, राजू व पुत्री गंगा है । उक्त वर्णित व्यक्तियों के हिस्से में भी 1,500/- वर्ग गज के हिसाब से भूमि श्रीमान देने की कृपा करें ।

(4) यह कि खातेदारान घासी एवं रामू के हिस्से मे 1/4 भूमि श्रीमान अवाप्त कर रहे हैं लेकिन श्रीमान से यह निवेदन हैं कि उक्त वर्णित व्यक्तियों के हिस्से अनुसार 1,500 वर्ग गज प्रति व्यक्ति अलग अलगदेकर फिर बची हुई भूमि श्रीमान अवाप्त कर क्लेम दे सकते है ।

(5) यह कि भूमि अप्रार्थीगण के पिता की है इसलिए क्लेम वाली भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी जायदाद है। [illegible]

(6) यह कि अवाप्त की जाने वाली भूमि कुआ भी है जिसमें बिजली का पम्प सैट लगा हुआ है जिसकी कीमत करीब पच्चीस हजार रूपया एवं कोठी की कीमत डेढ लाख रूपया है । इस प्रकार कच्चे व पक्के

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

क्रमशः...11..

~~इस प्रकार कच्चे व पक्के~~ मकानात आदि भी बने हुए है जिनकी लागत करीबन पांच छः लाख रूपया है इस प्रकार करीबन साढ़े सात-आठ लाख रूपया श्रीमान् अप्रार्थीगण को अलग से देने की व्यवस्था करें ।

﴾7﴿ यह कि जो भूमि श्रीमान अवाप्त करने जा रहे हैं उस पर करीबन दस लाख रूपये की फसल तो साल भर में हो जाती है अगर भूमि अवाप्त हो जायेगी तो अप्रार्थीगण जो कृषक हैं बर्बाद हो जायेंगे इसलिए और कुछ नहीं तो कम से कम एक साल की फसल का रूपया तो देने की व्यवस्था करें ।

﴾8﴿ यह कि श्रीमान् उक्त तथ्यों पर गौर नहीं भी फरमाते हैं तो श्रीमान से गुजारिश है कि प्रार्थीगण ﴾अप्रार्थीगण﴿ के हिस्सेके की कुल भूमि का क्लेम देना ही चाहते हैं तो कम से कम 400/- रूपया प्रतिवर्ग गज के हिसाब से देने की कृपा करें क्योंकि पृथ्वी राज नगर स्कीम के तहत यह भूमि अवाप्त की जा रही है जहाँ पर कि प्लाट 500-600/- रूपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से सम्भवतः सरकार काटेगी इसके अलावा पैरा नम्बर 7 व 8 में बतायी गयी अप्रार्थीगण को होने वाली हानि करीब 7-8 लाख रूपया भी श्रीमान अलग से क्लेम देने की कृपा करें ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रति व्यक्ति 1,500/- वर्ग गज जमीन को छोड़ कर बाकी भूमि अवाप्त कर सकते हैं और अगर श्रीमान् भूमि अवाप्त करना ही चाहते हैं तो प्रति वर्ग गज 400/- रूपये प्रार्थीगण ﴾अप्रार्थीगण﴿ को उनके हक की भूमि का देने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें । साथ ही सात-आठ लाख रूपये का हिसाब जो पैरा नम्बर 7 व 8 में बताया गया वह भी देने की मांग की है ।

खातेदारान की ओर से वकील श्री राकेश स्वामी ने दिनांक 12-6-91 को जमाबन्दी ﴾खतौनी﴿ ग्राम अमरपुरा की नकल पेश की है जिसमें वन्दा पुत्र नानगा कौम ब्राह्मण की भूमि की जमाबन्दी का विवरण दिया है । जो शामिल मिसल है । जयपुर विकास प्राधिकरण

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

क्रमशः .... 12..

.....

के

के अभिभाषक श्री के० पी० मिश्रा का कथन है कि खातेदारान/हितदारान ने बहुत अधिक राशि मांग की है। इस क्षेत्र में भूमि की इस दर पर रजिस्ट्री होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है और ना ही बाजार दरें की पुष्टि में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत किये है। कच्चे मकानात व फसल इत्यादि के सम्बन्ध में रजिस्टर्ड वैल्यूवर से प्रमाणित कोई तकमीना भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके आधार पर खातेदारान/ हितदारान को कोई मुआवजा राशि अवार्ड में दे दी जा सके। हम जयपुर विकास प्राधिकरण के वकील के कथन से सहमत है।

अतः दावेदारान/हितदारान द्वारा क्लेम बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया है जो निराधार है अतः क्लेम के अनुसार मुआवजा राशि दिया जाना न्याय संगत नहीं है।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त मुकदमों में सार्वजनिक नोटिस भी दिनांक 3-5-91 को जारी किया गया जो तामिल कुनिन्दा द्वारा सम्बन्धित तहसील, पंचायत समिति, नोटिस बोर्ड, ग्राम पंचायत, व सरपंच को दिये गये व चस्पा कराया गया।

मुआवजा निर्धारण :-

जहाँ तक पृथ्वीराज नगर योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प-6(15 नविआ/87 दिनांक 1.1.89 द्वारा मुआवजा निर्धारण के लिये राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन शासन सचिव, राजस्व विभाग की अध्यक्षता मे किया गया था लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में से किसी भी ग्राम के मुआवजा राशि का निर्धारण नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 353-355 दिनांक 11.2.91 द्वारा शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा जयपुर विकास प्राधिकरण, आयुक्त एवं सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण को भी निवेदन किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी में मुआवजा निर्धारण करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करा ली जावे। इसके उपरान्त समय समय पर आयोजित मिटिंग्स मे भी मुआवजा निर्धारण के लिये निवेदन किया गया लेकिन कमेटी द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

क्रमशः .. 13..

231

इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना की 22 ग्रामों में स्थित भूमि के किसी भी खातेदार को बुलाकर नेगोशियशन नहीं किया गया है ।

विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय समय पर जो निर्णय कृषि भूमि के मुआवजे निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किये हैं उनमें कृषि भूमि की मुआवजे निर्धारण का तरीका धारा-4 के गजट नोटिफिकेशन वर्ष 88 को हुआ था (7.7.88) इसलिये विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णय के परिप्रेक्ष में 7 जुलाई, 1988 को विभिन्न उप-पंजीयकों के यहां पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र में भूमियों के रजिस्ट्रेशन की दर क्या थी उस पर विचार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है ।

उपरोक्त सभी प्रकरणों में खसरा नम्बरों की भूमि के मुआवजे की जो मांग खातेदारान द्वारा की गई है के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के0 पी0 मिश्रा का कथन है कि क्लेम में मुआवजे की मांग की गई है । वह बहुत अधिक है । खातेदारान/दावेदारान ने भूमि की बाजार दर की पुष्टि में कोई ठोस सबूत भी प्रस्तुत नहीं किये है । पूर्व में भी इस न्यायालय द्वारा इस क्षेत्र के आस-पास की भूमियों का मुआवजा 24,000/- रू0 प्रति बीघा की दर से निर्धारित किया गया है। अतः उक्त मामलों में 24,000/-रू0 प्रति बीघा की दर से मुआवजा निर्धारण किया जाना उचित होगा ।

लेकिन नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के अनुसार इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण जिसके लिए भूमि अवाप्ति की जा रही है का भी पक्ष ज्ञात किया गया । जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव, ने पत्र क्रं. टी.डी.आर./91 336 दिनांक 3.6.91 द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किया कि धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय ग्राम असरपुरा में 10,200/- रू0 प्रति बीघा की दर से पंजीयन हुआ था इसलिए जहाँ तक उनके पक्ष का सम्बन्ध है यह दर उचित है ।

हमने इस सम्बन्ध में उप-पंजीयक एवं तहसीलदार, सांगानेर के यहां से भी अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी । तहसीलदार जविप्रा प्रथम ने अपने यू.ओ.नोट दिनांक 8.5.91 द्वारा उप-पंजीयक सांगानेर के यहाँ भी धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय जमीन की विक्रय दर यही बताई है ।

लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र की आस-पास की भूमि की मुआवजा राशि 24,000/-रू0 प्रति बीघा की दर से अवार्ड जारी किये गये एवं जिनका अनुमोदन राज्य सरकार से प्राप्त हो चुका है। जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के 0 पी0 मिश्रा ने कोई लिखित में उत्तर नहीं देकर मौखिक रूप से यह निवेदन किया है कि मुआवजा राशि 24,000/- रू0 प्रति बीघा की दर से तय की जाती है तो जविप्रा को कोई आपत्ति नहीं होगी । क्योंकि कुछ समय पूर्व इसी न्यायालय द्वारा इस भूमि के आस-पास के क्षेत्र में 24,000/-रू0 प्रति बीघा की दर से अवार्ड पारित किये गये है ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
विकास योजनाएँ
जयपुर

.... 12

अतः इस मामले में भी इस भूमि की मुआवजा राशि 24,000/- रू० प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते हैं एवं हम यह भी मानते हैं कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अवार्ड पारित करने के लिये दो वर्ष की समयावधि नियत है । लेकिन खातेदारान/हितधारान को धारा 9 व 10 के नोटिस तामील कुनिन्दा रजिस्टर्ड ए. डी. एवं समाचार पत्र में प्रकाशन के बाद भी उपस्थित नहीं होना व क्लेम पेश नहीं करना । इस बात का द्योतक है कि ये अपना कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं इसलिए इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है ।

जहाँ तक पेड़ पौधे, कुण्डे, कुएँ, एवं भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर्स का प्रश्न है खातेदारान द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित तखमीने पेश नहीं किये गये हैं । ऐसी स्थिति में स्ट्रेक्चर (यदि कोई हो) के मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा रहा है। इसका निर्धारण बाद में जविप्रा से तकनीकी अनुमोदित तखमीने प्राप्त होने पर नियमानुसार कि निर्धारण किया जावेगा ।

हम इस भूमि के मुआवजे का निर्धारण तो 24,000/- रू० प्रति बीघा की दर से करते हैं लेकिन मुआवजे का भुगतान विधिक रूप से मालिकाना हक सम्बन्धि दस्तावेजात पेश करने पर ही किया जावेगा । मुआवजे का निर्धारण परिशिष्ट "ए" के अनुसार जो इस अवार्ड का भाग है के अनुसार निर्धारित किया गया है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23 (1-ए) एवं 23(2) के अन्तर्गत मुआवजे की उपरोक्त राशि पर नियमानुसार 30% सोलेशियम एवं 12 % अतिरिक्त राशि भी देय होगी । जिसका भी निर्धारण परिशिष्ट ("ए") मुआवजे की राशि के साथ दर्शाया गया है ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रथम) एवं सक्षम अधिकारी नगर भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31.5.91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि पृथ्वीराज नगर योजना के समस्त 22 ग्राम जयपुर नगर संकुलन सीमा में सम्मिलित है एवं अलसर अधिनियम 1976 के प्रभावित है । लेकिन उन्होंने ये सूचना नहीं दी है कि अलसर अधिनियम 1976 की धारा 10 (3) की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी अथवा नहीं ऐसी स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अंतर्गत पारित किये जा रहे है ।

यह अवार्ड आज दिनांक 12.6.91 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है ।

संलग्न : परिशिष्ट "ए"
गणना तालिका

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर

आज दिनांक 20/7/91 को अवार्ड राज्य सरकार के पत्र क्रमांक F6(15)न.वि.आ/87/पार्ट दिनांक 31/7/91 के द्वारा अनुमोदित होकर लागू हो गया है। इस अवार्ड के खसरा नं० 66, 67, 112 मि, 113, 114 से 116 मि. 117 मि. 118 मि. 65, 69, 99, 100 से 110 तथा 111 (सिवायचक) की घोषणा पर माननीय उच्च न्यायालय

का स्थगन आदेश होने के कारण आज दिनांक 20/7/91 को अवार्ड घोषित नहीं किया जा रहा है।

: ।। :

इस अवार्ड से खसरा 132 मिन की घोषणा पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने के कारण आज दिनांक 31/7/91 को सारे [illegible] घोषित किया जाकर जारी किया जाता है।

18.5.96 — भूमि ख.नं. 66, 67, 112 मिन, 113, 114 व 116 मि, 115, 117 मिन 118 मि. 65, 69, 99, 100 से 110 तथा 111 मिन तथा 132 मिन ग्राम [illegible] तहसील सांगानेर का अवार्ड दिनांक 20.7.91 को राज्य सरकार के पत्र क्रमांक F6(15) नवि/ग्रा/87 पार्ट दिनांक 19.7.91 के द्वारा अनुमोदित होकर प्राप्त हो गया था किन्तु उपरोक्त खसरा नम्बरान (132 मिन को छोड़कर) शेष की घोषणा पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण तत्कालीन भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड की घोषणा पूर्व में नहीं की गई थी। [illegible] दिनांक [illegible] को माननीय उच्च न्यायालय डी.बी. द्वारा [illegible] का निर्णय राज्य सरकार/ [illegible] के हित में कर दिया गया है जिसकी प्रति इस कार्यालय में दिनांक 18.5.96 को प्राप्त हुई है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों की अनुपालना में ख.नं. 66, 67, 112 मि. 113, 114, 115, 116 मि. 117 मि. 118 मि., 65, 69, 99, 100 से 110 तथा 111 मि. ग्राम [illegible] तहसील सांगानेर का अवार्ड आज दिनांक 18.5.96 को सार्वजनिक घोषित किया जाता है। हितबद्ध व्यक्तियों को धारा 12(2) के नोटिस जारी हों। अनुपालना के लिये अवार्ड की एक प्रति सचिव [illegible] को भेजी जावे।

18.5.96

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

234

15

परिशिष्ट "ए" गणना तालिका ग्राम अतरपुरा तहसील सांगानेर, जयपुर ।

क्र.सं.	मुकदमा नं0	नाम खातेदारान/हितदारान	ख0नं0	अवाप्तिधीन भूमि का रकबा	मुआवजा दर	मुआवजा की राशि	तोतेशियम 30%	अतिरिक्त 12%	कुल योग
1.	2.	3.	4.	बी.5 बि.	6.	7.	8.	9.	10.
		हितदारान							
1.	257/88	हरबक्स [मृतक] वारिसान बाबूराम हरि0 नारायण, महादेव, लक्ष्मीनारायण, सीताराम, रामलाल, बद्री पुत्र मंगला 3/4 बराबर नाथू, लल्लू, शंकर, गजानन्द, कन्हैयालाल, पि. मुरा हि. 1/4 कौम ब्राह्मण सा. देह	66	0+ 18					
			67	5-18					
			132मिन	0-10					
			112मिन	3-12					
				10-18	24,000/-	2,61,600/-	78,480/-	92,083/-	4,32,163/-
2.	260/88	गणेश पुत्र गंगासहाय कौम ब्राह्मण सा. देह	113	1-17					
			114	0-01					
			115	4-00					
			116मिन	0-15					
			117मिन	2-00					
			118मिन	0-15					
				9-08	" "	2,25,600/-	67,680/-	79,411/-	3,72,691/-
3.	261/88 264/88	भागीरथ, रामलाल पि0 छोटूराम व गुलाब बेवा छोटूराम 1/4 व श्री नारायण, कमा, रामनाथ पि0 घन्दा हि03/4 जा. ब्राह्मण हरियाणा सा. देह	65	1-04					
			69	7-01					
			99	0-04					
			100	4-14					
			101	0-01					
			102	0-03					
			103	0-04					
			104	0-06					
			105	0-02					

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

क्रमशः ————2 पेज पर ————

1.	2.	3.	4	5	6	7	8	9	10
			106	2-17					
			107	0-03					
			108	2-06					
			109	2-05					
			110	0-02					
				21-12	24,000/-	5,18,400/-	1,55,520/-	1,82,477/-	8,56,397/-

नोटः- 1. सोलेशियम 30 प्रतिशत कालम नम्बर 8 पर मुआवजा राशि पर दिया गया है ।

2. अतिरिक्त राशि 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की गणना धारा 4 (1) का गजट दिनांक 7.7.88 से 12.6.91 तक दी गई है ।

3. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार खातेदार हरबक्स की मृत्यु दिनांक 6.12.87 को हो चुकी है अतः इनके हिस्से की भूमि के मुआवजे की राशि इनके पुत्रान बालूराम हरिनारायण,सीताराम महादेव,लक्ष्मीनारायण को राजस्व विधिक दस्तावेज व उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र पेश करने पर ही देय होगी ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनायें, जयपुर
जयपुर